Polity

संसद की विधायी प्रक्रिया

[Legislative procedure of the parliament]

साधारण विधेयक संबन्धी प्रक्रिया साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है

Procedure regarding Ordinary Bill An ordinary Bill can be introduced in either House of parliament by a Minister of the Government or a Member of parliament or a Member of parliament.

Bill विधेयक

- सरकारी (Govt.) ⇒ जब बिल मंत्री द्वारा पेश
- गैर-सरकारी (Non-Govt) ⇒ जब बिल किसी MP के द्वारा पेश

साधारण विधेयक [Ordinary Bill] ⇒ पेश [Introduced] ⇒ संसद के किसी भी सदन में [Either House of Parliament]

ex ⇒ पेश ⇒ (RS / LS) में पेश (Introduced in LS)

⇒ चर्चा (Debate) → LS के सदस्य (MP)

पारित (Pass) ⇒ LS के सदस्यों द्वारा पारित (MP)

॥

साधारण बहुमत (Simple Majority)

RS - पेश
LS → चर्चा
→ पारित (Pass) → साधारण बहुमत → Pass होकर → राष्ट्रपति
अथवा or
→ अस्वीकार [Reject]
→ संशोधन कर सकती है जिसमें LS सहमत न हो
→ 6 माह तक बिल को अपने पास रख सकती है।
साधारण विधेयक पर LS और RS के मध्य विवाद (Dispute)
हस्ताक्षर (Signature)
Act/Law

⇒ साधारण विधेयक पर LS और RS के मध्य विवाद होने पर
⇒ राष्ट्रपति संयुक्त बैठक (Joint Session) बुलाते है। → Art. 108

संयुक्त बैठक ⇒ अध्यक्ष → Speaker of LS (LS के अध्यक्ष X
या or
→ Deputy Speaker (उपाध्यक्ष) X
या or
⇒ Vice - Chairman of RS X
RS के उपसभापति
या or
संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को इस बैठक का अध्यक्ष चुन लेते है।
Choose

3 बार
→ संयुक्त बैठक में भी Bill साधारण बहुमत से पारित
→ Quorum (गणपूर्ति) को बैठक से पहले चैक किया जाता है।
(RS X 1/10 / LS X 1/10)

विधेयक	वर्ष	प्रधानमंत्री
1. दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960	1961	जवाहर लाल नेहरू
बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक	1978	मोरारजी देसाई
आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 202	202	अटल बिहारी वाजपेयी

धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया
[Procedure for passing a Money Bill]

धन विधेयक को संविधान के अनु॰ 110 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनु॰ 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनु॰ 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।

Money Bill is defined under Article 110 of the Constitution and Special procedure is provided under Article 109 for its passing. According to Article 109, Money Bill cannot be introduced in Rajya Sabha.

Money Bill (धन विधेयक) – परिभाषा (Defination) → Art. 110

→ इस बिल की विशेष प्रक्रिया (Special Procedure) Art. 109 में है।

→ Art. 109 → धन विधेयक केवल ① LS में पेश होगा, RS में यह कभी पेश नहीं होता ⇓ पहले

इस बिल की शुरुआत LS से होती है।

↳ धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। (Money Bill Introduced in LS but After Approval of President)

② चर्चा (Debate) ③ LS से पारित → (RS) → RS इस बिल को केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है।

⇒ 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा इस बिल को पारित नहीं करती, तो यह बिल दोनों सदनों (LS or RS) द्वारा पारित माना जाता है।

⇒ राष्ट्रपति ⇒ धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो [Suspension Veto] का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अंकी अनुमति से ही बिल LS में पेश होता है

⇒ आत्यंतिक वीटो

⇒ पॉकेट वीटो

संविधान संशोधन विधेयक [The Constitution Amendment Bill]

संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Can be Introduced in either House of the parliament.

LS/RS में से किसी भी सदन में पेश।

ex. (RS) – (1) संविधान संशोधन विधेयक ⇒ (1) RS में पेश
(2) चर्चा
(3) पारित ⇒ विशेष बहुमत (2/3 बहुमत)

(LS) → (1) पेश
(2) चर्चा
(3) पारित – विशेष बहुमत (2/3 Majority) → राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (Signature)

अस्वीकार (Reject) + संशोधन करें जिससे RS सहमत न हो / 6 माह तक अपने पास रखें → बिल समाप्त

⇒ राष्ट्रपति संशोधन बिल का दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।

⇒ राष्ट्रपति इस बिल पर किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 24 वां CA 1971 के द्वारा उन्हें इस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया
Procedure of Constitution Amendment

Part (भाग) – XX (20), Art. 368

↳ प्रेरित (Inspired) दक्षिण अफ्रीका के संविधान से

(I) साधारण बहुमत
⇓
इस बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं होता। ex. →

(I) उत्तराखंड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलगाना, विधान परिषद का निर्माण etc

rojgar with ankit

[2] विशेष बहुमत [Special Majority] ⇒ सबसे अधिक संशोधन संविधान में इसी बहुमत से।

[3] विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति

Special Majority + Ratification of half States

ex. Art. 55, 54, 368 etc